



Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies

Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 95-105



अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक विवादों में विदेशी एकपक्षीय तलाक के निर्णय: भारतीय महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का विधिक एवं न्यायिक विश्लेषण

Neha Kannaujiya

Research Scholar, Department of Law, Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University, Gorakhpur.

Accepted: 15/08/2026

Published: 25/08/2026

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.22096735>

सारांश

वैश्विक आवागमन ने विवाह को अनेक देशों की विधि, न्यायालय और सामाजिक व्यवस्था से जोड़ दिया है। विवाह भारत में सम्पन्न हो सकता है, दाम्पत्य जीवन विदेश में बीत सकता है, पति-पत्नी बाद में अलग-अलग देशों में रह सकते हैं और विवाह-विच्छेद की कार्यवाही किसी अन्य विदेशी न्यायालय में प्रारम्भ हो सकती है। इस बहु-अधिकारितात्मक स्थिति का सर्वाधिक कठोर प्रभाव उस भारतीय पत्नी पर पड़ता है जिसे पति विदेश में छोड़ देता है, आर्थिक साधनों और प्रवासन-दस्तावेजों से वंचित रखता है, अथवा ऐसी विदेशी कार्यवाही में एकपक्षीय तलाक प्राप्त कर लेता है जिसमें पत्नी की भागीदारी केवल औपचारिक रही हो। प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय विधि में ऐसे विदेशी निर्णयों की मान्यता का परीक्षण करता है। इसका केंद्रीय प्रतिपादन है कि विदेशी विवाह-विच्छेद का निर्णय भारत में स्वतः निर्णायक नहीं होता। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 13 तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित सिद्धांतों के अनुसार विदेशी न्यायालय की सक्षम अधिकारिता, पक्षकारों पर लागू वैवाहिक विधि में उपलब्ध तलाक-आधार, वास्तविक गुण-दोष परीक्षण, प्रभावी और वहनीय सुनवाई, स्वतंत्र सहमति तथा कपट का अभाव अनिवार्य हैं। शोध-पत्र मान्यता और प्रवर्तन के अंतर, अधिवास, अभ्यस्त निवास, अंतरन्यायिक सौहार्द तथा द्विविध वैवाहिक स्थिति की अवधारणाओं को स्पष्ट करता है; प्रमुख न्यायनिर्णयों का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है; और भरण-पोषण, निवास, संरक्षण, घोषणा, विदेशी वाद-निरोधक निषेधाज्ञा, विधिक सहायता तथा दूतावासीय सहयोग जैसे उपचारों का मूल्यांकन करता है। अंततः एक समेकित केंद्रीय विधि, अनिवार्य विवाह-पंजीकरण, अर्थपूर्ण दूरस्थ सहभागिता, अंतरिम आर्थिक सहायता और पारस्परिक प्रवर्तन-व्यवस्था के लिए सुधार प्रस्तावित किए गए हैं।

मुख्य शब्द: अनिवासी भारतीय विवाह; विदेशी एकपक्षीय तलाक; भारतीय महिला; विदेशी निर्णय; निजी अंतरराष्ट्रीय विधि; प्राकृतिक न्याय; अधिवास; वैवाहिक अधिकार।

1. प्रस्तावना

भारत से विदेश जाने वाले नागरिकों की बढ़ती संख्या ने विवाह और परिवार को सीमाओं के पार विस्तृत किया है। इस परिवेश में विवाह का उत्सव भले ही भारत में हो, पर दाम्पत्य निवास विदेश में स्थापित होता है; कभी पति विदेश लौट जाता है और पत्नी भारत में रह जाती है; कभी दोनों किसी दूसरे देश में रहते हैं और विवाद के समय अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही संबंध पर विवाह-सम्पन्नता की विधि, व्यक्तिगत विधि, अधिवास की विधि, वर्तमान निवास की विधि और विदेशी न्यायालय की स्थानीय विधि एक साथ दावा कर सकती हैं। विधि आयोग ने कपट, परित्याग, आर्थिक शोषण, दस्तावेजों पर नियंत्रण और बहु-अधिकारितात्मक मुकदमेबाजी को इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के रूप में पहचाना है।¹

संलग्न सुझावों में वर्णित व्यावहारिक क्रम इस जटिलता को सीधे सामने लाता है: शादी भारत में होती है; पति-पत्नी कुछ समय विदेश में रहते हैं; बाद में अलग-अलग देशों में रहने लगते हैं; और तलाक का वाद किसी तीसरे देश में आरम्भ हो जाता है। पति के पास विदेश की आय, निवास, स्थानीय वकील और दस्तावेज होते हैं, जबकि पत्नी वीजा, भाषा, धन, परिवहन और जानकारी के लिए उसी पति पर निर्भर हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने भी परित्याग, पत्नी को विदेश न बुलाना, पासपोर्ट अथवा प्रवासन-पत्र रोकना, संपर्क तोड़ना, भरण-पोषण से बचना और विदेश में एकपक्षीय तलाक लेना जैसी शिकायतों को विशिष्ट वैवाहिक समस्याओं के रूप में दर्ज किया है।²

इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि विदेशी निर्णय तकनीकी रूप से वैध है या नहीं। मूल प्रश्न यह है कि क्या उस प्रक्रिया ने पत्नी को अपने वैवाहिक दर्जे, आर्थिक सुरक्षा, निवास, संतान और संपत्ति से संबंधित हितों की रक्षा का वास्तविक अवसर दिया। विवाह-विच्छेद में स्त्री और पुरुष के समान अधिकार की अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता भी केवल परिणामगत समानता नहीं, बल्कि निष्पक्ष प्रक्रिया, जानकारी और आर्थिक क्षमता की माँग करती है।³ यदि एक पक्ष अपनी आर्थिक और प्रवासी बढ़त का उपयोग करके सुविधाजनक विदेशी न्यायालय चुनता है, तो औपचारिक समानता असमानता को ढक सकती है।

भारत में विदेशी विवाह-विच्छेदों के लिए पृथक और सर्वसमावेशी मान्यता-अधिनियम नहीं है। इस विषय का सामान्य आधार सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13, पक्षकारों पर लागू वैवाहिक विधान और न्यायालयों द्वारा विकसित निजी अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांत हैं। विधि आयोग ने 1976 में ही विदेशी विवाह-विच्छेदों की मान्यता पर पृथक अध्ययन करते हुए विधायी स्पष्टता की आवश्यकता रेखांकित की थी।⁴ इसके बाद भी न्यायिक निर्णयों को प्रत्येक मामले में अधिकारिता, लागू विधि, सुनवाई और कपट का सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ता है।

इस शोध-पत्र का प्रतिपादन है कि विदेशी एकपक्षीय तलाक के प्रति भारतीय दृष्टिकोण न तो अंध अस्वीकृति का है, न अंध स्वीकृति का। सही दृष्टिकोण नियंत्रित मान्यता का है: अंतरन्यायिक सौहार्द का सम्मान तभी तक, जब तक विदेशी न्यायालय की अधिकारिता भारतीय वैवाहिक विधि में स्वीकार्य हो; राहत का आधार लागू भारतीय विधि में उपलब्ध हो; निर्णय वास्तविक गुण-दोष पर हो; पत्नी को अर्थपूर्ण प्रतिरक्षा मिली हो; और निर्णय कपट या दबाव से दूषित न हो। यही संतुलन वैवाहिक स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय आवागमन और भारतीय महिलाओं के अधिकारों को साथ लेकर चलता है।

2. शोध-समस्या, उद्देश्य और पद्धति

शोध की मुख्य समस्या यह है कि विदेश में पारित एकपक्षीय विवाह-विच्छेद भारतीय न्यायालय के समक्ष कब निर्णायक माना जाए और कब उसकी मान्यता से इनकार किया जाए। इससे जुड़े प्रश्न हैं: सक्षम न्यायालय किसे माना जाएगा; पक्षकारों पर कौन-सी वैवाहिक विधि लागू होगी; केवल समन की तामील और वास्तविक सुनवाई में क्या अंतर है; विदेश में उपस्थिति अथवा उत्तर दाखिल करना कब अधिकारिता के प्रति समर्पण बनेगा; और अमान्य विदेशी तलाक से प्रभावित पत्नी को भारत में कौन-कौन से उपचार मिल सकते हैं।

अध्ययन के 4 उद्देश्य हैं। पहला, विदेशी निर्णय की मान्यता का विधिक ढाँचा व्यवस्थित करना। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों से एक प्रयोज्य परीक्षण निकालना। तीसरा, तकनीकी नियमों को भारतीय पत्नी की आर्थिक, प्रवासी और सामाजिक वास्तविकताओं के साथ पढ़ना। चौथा, वर्तमान विधायी

¹ भारत का विधि आयोग, *भारत के अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि*, रिपोर्ट संख्या 287, पृ. 1-8 (2024)।

² भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, *विदेश में बसे भारतीय पुरुषों से विवाहित भारतीय महिलाओं के वैवाहिक मुद्दे*, वैवाहिक समस्याओं और उपलब्ध सहायता संबंधी आधिकारिक सूचना।

³ महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979, अनुच्छेद 16।

⁴ भारत का विधि आयोग, *विदेशी विवाह-विच्छेदों की मान्यता*, रिपोर्ट संख्या 65 (1976)।

रिक्तियों और प्रशासनिक विखंडन को दूर करने के लिए अधिकार-आधारित सुधार प्रस्तावित करना। इन उद्देश्यों के लिए वैधानिक पाठ, न्यायनिर्णय, विधि आयोग की रिपोर्ट, संसदीय सामग्री और आधिकारिक दूतावासीय मार्गदर्शन का सैद्धांतिक विश्लेषण किया गया है।

यह शोध सिद्धांतप्रधान है, पर उसका मानक केवल न्यायनिर्णयों का वर्णन नहीं है। प्रत्येक नियम को 3 कसौटियों पर परखा गया है: वैवाहिक दर्जे की निश्चितता, प्रक्रिया की निष्पक्षता और उपचार की वास्तविक उपलब्धता। सिविल प्रक्रिया संहिता में 'विदेशी निर्णय' का अर्थ भारत के बाहर स्थित ऐसे न्यायालय का निर्णय है जिसे केंद्र सरकार ने स्थापित अथवा जारी नहीं रखा है।⁵ किंतु विवाह-विच्छेद में केवल इस परिभाषा से समाधान नहीं होता, क्योंकि वैवाहिक स्थिति पर निर्णय का प्रभाव संपत्ति, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, पुनर्विवाह और संतान तक फैलता है।

3. वैचारिक आधार: सीमा-पार विवाह और विदेशी निर्णय

3.1 बहु-अधिकारितात्मक वैवाहिक संबंध

अनिवासी भारतीय विवाह कोई पृथक धार्मिक या वैधानिक विवाह-प्रकार नहीं है; यह ऐसा संबंध है जिसके तथ्य एक से अधिक देशों से जुड़े हैं। संबद्धता के प्रमुख आधार विवाह का स्थान, पति-पत्नी की नागरिकता, अधिवास, अभ्यस्त निवास, अंतिम साझा निवास, संतान का निवास, संपत्ति का स्थान और वाद का न्यायमंच हैं। इन आधारों का महत्व अलग प्रश्नों के लिए अलग हो सकता है। उदाहरणतः विवाह की औपचारिक वैधता प्रायः विवाह-स्थान से, जबकि विवाह-विच्छेद की अधिकारिता और आधार पक्षकारों की वैवाहिक विधि तथा स्वीकृत संबद्धता से निर्धारित हो सकते हैं।

अधिवास केवल किसी देश में अस्थायी रहना नहीं है। इसमें वास्तविक निवास के साथ अनिश्चित काल तक वहीं रहने की मंशा का तत्व जुड़ा है। अभ्यस्त निवास अपेक्षाकृत तथ्यप्रधान अवधारणा है, जो जीवन के स्थायी केंद्र और निवास की निरंतरता को देखती है। नागरिकता राजनीतिक सदस्यता है। इन अवधारणाओं को मिलाने से वह व्यक्ति, जो नौकरी के लिए कुछ वर्ष विदेश रहा, स्वयं को विदेशी अधिवासी बताकर उस न्यायालय की अधिकारिता बना सकता है जिसे भारतीय विधि स्वीकार नहीं करती।

3.2 मान्यता और प्रवर्तन का अंतर

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 विदेशी निर्णय को उन्हीं पक्षकारों के बीच सीधे निर्णायक मानती है, पर 6 अपवादों में उसकी निर्णायकता समाप्त हो जाती है।⁶ 'मान्यता' का अर्थ है भारतीय न्यायालय द्वारा विदेशी निर्णय से उत्पन्न वैवाहिक स्थिति या निष्कर्ष को विधिक प्रभाव देना। 'प्रवर्तन' का अर्थ है उस निर्णय के आदेशात्मक भाग जैसे धनराशि को बाध्यकारी प्रक्रिया से लागू करना। विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रायः वैवाहिक दर्जे की मान्यता का प्रश्न उठाती है; वह केवल ऋण-वसूली की डिक्री नहीं है।

धारा 44क पारस्परिक घोषित प्रदेशों के उच्चतर न्यायालयों की कुछ धन-डिक्रियों के निष्पादन को सरल बनाती है, पर वह कर, दंड और वैवाहिक स्थिति जैसे सभी निर्णयों को यांत्रिक रूप से निष्पाद्य नहीं बनाती।⁷ इसलिए यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि विदेशी देश पारस्परिक घोषित है, अतः वहाँ का तलाक स्वतः भारत में मान्य है। वैवाहिक स्थिति की निर्णायकता धारा 13 की कसौटियों और लागू वैवाहिक विधि से ही जाँची जाएगी।

3.3 अंतरन्यायिक सौहार्द और सार्वजनिक नीति

अंतरन्यायिक सौहार्द का अर्थ विदेशी न्यायालयों के प्रति सम्मान और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में अनावश्यक टकराव से बचना है। यह बाध्यकारी आज्ञा नहीं, बल्कि न्यायसंगत पारस्परिक सम्मान है। भारतीय न्यायालय विदेशी निर्णय की पुनः अपील नहीं सुनता; वह सीमित स्तर पर यह देखता है कि निर्णय को भारतीय विधि के अनुसार निर्णायकता मिल सकती है या नहीं। विवाह-विच्छेद में यह सीमित परीक्षण अधिक संवेदनशील है, क्योंकि एक देश में विवाहित और दूसरे में अविवाहित माने जाने की द्विविध स्थिति व्यक्ति और संतान दोनों के लिए गंभीर परिणाम पैदा करती है।⁸

3.4 एकपक्षीय निर्णय और द्विविध वैवाहिक स्थिति

'एकपक्षीय' का अर्थ हर उस निर्णय से नहीं है जिसमें प्रतिवादी सुनवाई के दिन उपस्थित न हो। निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या दावा प्रमाण और लागू विधि पर परखा गया तथा क्या अनुपस्थित पत्नी को प्रतिरक्षा का वास्तविक अवसर था। कभी विधिवत सूचना, पर्याप्त समय, वहनीय प्रतिनिधित्व और प्रमाण-विचार के बाद भी प्रतिवादी अनुपस्थित रहता है; ऐसा निर्णय गुण-दोष पर हो सकता है। इसके विपरीत केवल उत्तर न देने पर स्वचालित तलाक, या ऐसी तामील जिसमें

⁵ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 2(6)।

⁶ वही, धारा 13।

⁷ वही, धारा 44क।

⁸ *वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी*, (1991) 3 एससीसी 451।

पत्नी कार्यवाही समझ ही न सके, धारा 13 की सुरक्षा को आकर्षित करती है।

विदेशी तलाक वहाँ प्रभावी और भारत में अमान्य होने पर पति स्वयं को विदेश में अविवाहित, जबकि पत्नी भारत में विवाहित पाती है। इसे यहाँ 'द्विविध वैवाहिक स्थिति' कहा गया है। इससे पुनर्विवाह, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, बीमा, पेंशन, संपत्ति, संतान की वैधता और सामाजिक पहचान पर अनिश्चितता छा जाती है। अतः शीघ्रता से अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा मान्यता-निर्णय जो दोनों पक्षों की वास्तविक संबद्धता और न्यायिक भागीदारी पर आधारित हो।

4. भारतीय वैधानिक और अधिकार-आधारित ढाँचा

4.1 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13

धारा 13 विदेशी निर्णय की निर्णायकता से इनकार के 6 आधार देती है: निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने न दिया हो; निर्णय गुण-दोष पर न हो; वह अंतरराष्ट्रीय विधि की गलत दृष्टि या लागू भारतीय विधि को न मानने पर आधारित हो; कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हो; निर्णय कपट से प्राप्त किया गया हो; अथवा वह ऐसे दावे को बनाए रखता हो जो भारत में प्रवृत्त विधि के उल्लंघन पर आधारित है।⁹ ये आधार परस्पर पृथक दीवारें नहीं हैं। काल्पनिक अधिवास अधिकारिता और कपट दोनों हो सकता है; अनुपलब्ध तलाक-आधार गुण-दोष तथा भारतीय विधि की अवहेलना दोनों को प्रभावित कर सकता है; और असंभव विदेशी प्रतिरक्षा प्राकृतिक न्याय तथा वास्तविक गुण-दोष दोनों को निष्फल कर सकती है।

धारा 14 में प्रमाणित विदेशी निर्णय प्रस्तुत होने पर विदेशी न्यायालय की क्षमता के पक्ष में खंडनीय अनुमान है। अभिलेख के मुख पर विपरीत तथ्य दिखें या अन्य प्रमाण से अधिकारिता का अभाव सिद्ध हो, तो यह अनुमान टूट सकता है।¹⁰ अतः पत्नी पर हर स्थिति में असंभव प्रमाण-भार नहीं डाला जा सकता। विवाह-अर्जी, तामील का प्रमाण, विदेशी न्यायालय के तथ्य-निष्कर्ष, अधिवास का दावा और कार्यवाही का पूरा अभिलेख माँगना आवश्यक है। केवल डिक्री का अंतिम पृष्ठ अधिकारिता तथा गुण-दोष की पर्याप्त जाँच नहीं कराता।

4.2 लागू वैवाहिक विधि

यदि हिंदू विवाह भारत में हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन सम्पन्न हुआ है, तो उस अधिनियम की विषयगत शर्तें

और तलाक-आधार केंद्रीय महत्व रखते हैं। अधिनियम की क्षेत्रीय प्रयोज्यता, पक्षकारों का अधिवास और धारा 19 की स्थानीय अधिकारिता का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है।¹¹ विदेश में निवास मात्र से पक्षकार अपनी मूल वैवाहिक विधि से स्वतः बाहर नहीं हो जाते। उसी प्रकार किसी विदेशी न्यायालय की स्थानीय विधि में 'विवाह का अपूरणीय विघटन' उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं, यदि उस तथ्यात्मक आधार को पक्षकारों पर लागू भारतीय विधान मान्यता नहीं देता।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 दोष या परिस्थितिनिष्ठ तलाक-आधार देती है, जबकि धारा 13ख पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद की संरचना बनाती है।¹² एक पक्ष द्वारा विदेश में सहमति-विहीन प्रक्रिया को बाद में 'सहमति-तलाक' कहना स्वीकार्य नहीं। अन्य विवाहों के लिए विशेष विवाह अधिनियम अथवा संबंधित व्यक्तिगत विधि लागू हो सकती है; मूल सिद्धांत यह है कि विदेशी न्यायालय का आधार उस वैवाहिक विधि से मेल खाए जिसके अधीन संबंध बना और जिसे भारतीय निजी अंतरराष्ट्रीय विधि नियंत्रक मानती है।

4.3 संविधान, समानता और न्याय तक पहुँच

विदेशी निर्णय की मान्यता निजी पक्षकारों का विवाद होते हुए भी भारतीय न्यायालय की सार्वजनिक न्यायिक क्रिया है। इसलिए अनुच्छेद 14 की समानता, अनुच्छेद 15 की भेदभाव-विरोधी प्रतिज्ञा और अनुच्छेद 21 की न्यायोचित, उचित तथा निष्पक्ष प्रक्रिया मान्यता-परीक्षण को दिशा देती हैं।¹³ वह नियम जो विदेश में साधनसम्पन्न पति की सुविधा को निर्णायक और भारत में संसाधनहीन पत्नी की असमर्थता को 'चूक' मान ले, रूपतः तटस्थ पर प्रभाव में असमान होगा।

अनुच्छेद 39क न्याय तक समान पहुँच और निःशुल्क विधिक सहायता का संवैधानिक निर्देश देता है।¹⁴ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम महिलाओं को आय की सीमा से स्वतंत्र पात्र श्रेणी में रखता है।¹⁵ सीमा-पार विवाद में इस सहायता का अर्थ केवल भारतीय वकील नियुक्त करना नहीं; विदेशी अर्जी का अनुवाद, समय पर परामर्श, प्रमाण-संकलन, दूरस्थ उपस्थिति और आवश्यक होने पर विदेशी विधिक संस्था से समन्वय भी है।

महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन अभिसमय का अनुच्छेद 16 विवाह और उसके विघटन में समान अधिकार तथा उत्तरदायित्व पर बल देता है। सामान्य अनुशंसा संख्या 29 बताती है कि विवाह-विघटन के आर्थिक परिणाम प्रायः

⁹ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 13(क) से 13(च)।

¹⁰ वही, धारा 14।

¹¹ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धाराएँ 1 और 19।

¹² वही, धाराएँ 13 और 13ख।

¹³ भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 15 और 21।

¹⁴ भारत का संविधान, अनुच्छेद 39क।

¹⁵ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, धारा 12।

महिलाओं पर अनुपातहीन रूप से पड़ते हैं।¹⁶ इसलिए विदेशी तलाक की मान्यता को पत्नी के भरण-पोषण, वैवाहिक संपत्ति, निवास और संतान-देखभाल के प्रश्नों से पूरी तरह अलग करना स्त्री के अधिकारों को खंडित कर सकता है।

5. न्यायिक विकास और मान्यता की कसौटियाँ

5.1 अंतरराष्ट्रीय अर्थ में अधिकारिता

आर. विश्वनाथन बनाम रुक्न-उल-मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विदेशी न्यायालय की क्षमता केवल उसकी अपनी स्थानीय विधि से तय नहीं होती; उसे अंतरराष्ट्रीय अर्थ में भी सक्षम होना चाहिए।¹⁷ धारा 13 विदेशी निर्णयों से संबंधित पूर्व-न्याय का विधान है, पर उसकी निर्णायकता निष्पक्ष अधिकारिता पर निर्भर है। विवाह के संदर्भ में इसका अर्थ है कि वादी द्वारा चुने गए देश का कानून स्वयं अधिकारिता देता हो, इतना पर्याप्त नहीं; पक्षकारों और विवाद का उस न्यायमंच से वास्तविक तथा विधिसम्मत संबंध होना चाहिए।

शंकरन गोविंदन बनाम लक्ष्मी भारती ने प्राकृतिक न्याय को जड़ सूत्र के बजाय समकालीन निष्पक्ष व्यवहार से जोड़ा। उचित सूचना, आरोप समझने की क्षमता और उत्तर का अवसर आवश्यक हैं।¹⁸ सीमा-पार वैवाहिक विवाद में 'अवसर' का मूल्यांकन दूरी, प्रवासन-स्थिति, धन, भाषा और अभिलेखों की उपलब्धता सहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार भारतीय न्यायशास्त्र ने आरम्भ से ही तकनीकी तामील और वास्तविक न्याय के बीच अंतर की नींव रखी।

5.2 सत्या बनाम तेजा सिंह: अधिवास और कपट

सत्या बनाम तेजा सिंह में पति ने नेवाडा में तलाक प्राप्त किया, पर उसका अधिवास-दावा वास्तविक जीवन-केंद्र के बजाय विदेशी अधिकारिता बनाने का साधन था। सर्वोच्च न्यायालय ने डिक्री को भारत में निर्णायक नहीं माना।¹⁹ न्यायालय ने कहा कि अंतरन्यायिक सौहार्द सार्वजनिक नीति और न्याय के अधीन है; वह ऐसे निर्णय को मान्यता देने के लिए बाध्य नहीं करता जो अधिकारिता के मूल तथ्य की कपटपूर्ण प्रस्तुति पर टिका हो।

इस निर्णय का स्थायी महत्व 2 स्तरों पर है। पहला, अधिवास अधिकारिता का तथ्य है और उसका केवल विदेशी

निर्णय में लिखा होना अंतिम नहीं। दूसरा, कपट केवल मुकदमे के प्रमाण तक सीमित नहीं; वह न्यायालय को अधिकारिता देने वाले तथ्य को भी दूषित कर सकता है।²⁰ अतः होटल का पता, अल्पकालिक निवास, शीघ्र तलाक के बाद देश-त्याग और भारत से निरंतर जीवन-संबंध जैसे तथ्य विदेशी अधिवास की सत्यता जाँचने में प्रासंगिक हैं।

5.3 वाई. नरसिम्हा राव: नियंत्रक मान्यता-सिद्धांत

वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी विदेशी विवाह-विच्छेद की भारतीय मान्यता का प्रमुख निर्णय है। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन हुआ था; विदेशी न्यायालय ने ऐसे आधार पर तलाक दिया जो नियंत्रक वैवाहिक विधि में उसी रूप में उपलब्ध नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 13 को विवाह-विधि के साथ पढ़ते हुए एक संगठित कसौटी विकसित की।²¹

पहली कसौटी सक्षम अधिकारिता की है। सामान्यतः वह विदेशी न्यायालय सक्षम माना जाएगा जिसे उस विधि के अनुसार अधिकारिता प्राप्त है जिसके अधीन पक्षकारों का विवाह हुआ। केवल वादी का विदेशी निवास या विदेशी विधान की स्थानीय अनुमति पर्याप्त नहीं।²² यह नियम विवाह के स्वेच्छिक विधिक ढाँचे और प्रतिवादी की वैध अपेक्षा की रक्षा करता है। व्यक्ति विदेश जा सकता है, पर एकपक्षीय रूप से विवाह पर लागू मूल विधि और मंच को बदल नहीं सकता।

दूसरी कसौटी गुण-दोष की है। निर्णय तभी गुण-दोष पर है जब न्यायालय ने ऐसे तलाक-आधार पर दावा परखा हो जो पक्षकारों की नियंत्रक वैवाहिक विधि में उपलब्ध है, और प्रमाण के आधार पर उसका न्यायिक निर्णय किया हो।²³ विदेशी आदेश में 'साक्ष्य देखा' लिख देना पर्याप्त नहीं, यदि जिस आधार पर विवाह तोड़ा गया वही भारतीय विधि में अपरिचित है। गुण-दोष का प्रश्न प्रक्रिया और विषय-वस्तु दोनों को समेटता है।

तीसरी कसौटी प्राकृतिक न्याय की है। न्यायालय ने केवल समन पहुँच जाने को पर्याप्त नहीं माना। प्रतिवादी को कार्यवाही का प्रभावी प्रतिरोध करने की स्थिति मिलनी चाहिए; दूरी, यात्रा, निवास, विदेशी वकील का व्यय और

¹⁶ महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समिति, *विवाह, पारिवारिक संबंधों और उनके विघटन के आर्थिक परिणामों पर सामान्य अनुशंसा संख्या 29* (2013)।

¹⁷ *आर. विश्वनाथन बनाम रुक्न-उल-मुल्क सैयद अब्दुल वाजिद*, एआईआर 1963 एससी 11।

¹⁸ *शंकरन गोविंदन बनाम लक्ष्मी भारती*, (1975) 3 एससीसी 351।

¹⁹ *सत्या बनाम तेजा सिंह*, (1975) 1 एससीसी 120।

²⁰ वही, विशेषतः अधिवास संबंधी कपट और विदेशी निर्णय पर आनुषंगिक आक्रमण के सिद्धांत।

²¹ *वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी*, (1991) 3 एससीसी 451।

²² वही, सक्षम अधिकारिता की भारतीय वैवाहिक विधि से मान्यता संबंधी नियम।

²³ वही, गुण-दोष और उपलब्ध वैवाहिक आधार संबंधी विवेचन।

प्रतिनिधित्व की वास्तविक उपलब्धता प्रासंगिक हैं।²⁴ साधनहीन पत्नी को ऐसे न्यायमंच में बुलाना जहाँ पहुँचना वस्तुतः असंभव हो, कागजी अवसर दे सकता है पर न्यायोचित सुनवाई नहीं। दूरस्थ माध्यम आज बाधा घटा सकते हैं, किंतु अनुवाद, समय-अंतर, गोपनीयता और वकील तक पहुँच के बिना दृश्य-उपस्थिति भी पर्याप्त नहीं।

चौथी कसौटी स्वैच्छिक समर्पण की है। पत्नी का अधिकारिता पर आपत्ति करने के लिए उपस्थित होना, आपत्ति-सहित उत्तर देना, या विदेशी आदेश से तात्कालिक सुरक्षा माँगना स्वतः उस न्यायालय की अधिकारिता स्वीकार करना नहीं है।²⁵ समर्पण स्वतंत्र, स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए। इसके विपरीत यदि प्रतिवादी बिना शर्त अधिकारिता स्वीकार कर उपलब्ध तलाक-आधार पर मुकदमा लड़ती है, तो बाद में केवल प्रतिकूल परिणाम के कारण मान्यता से बचना कठिन होगा।

निर्णय ने सामान्य नियम के 3 संकीर्ण अपवाद बताए: कार्यवाही उस न्यायमंच में हो जहाँ प्रतिवादी अधिवासी अथवा अभ्यस्त और स्थायी रूप से निवासरत है और राहत लागू वैवाहिक विधि के उपलब्ध आधार पर हो; प्रतिवादी स्वेच्छा से तथा प्रभावी रूप से अधिकारिता स्वीकार कर उसी उपलब्ध आधार पर प्रतिरक्षा करे; या प्रतिवादी राहत दिए जाने के लिए स्वतंत्र सहमति दे।²⁶ इन अपवादों का केंद्र वादी की सुविधा नहीं, प्रतिवादी का वास्तविक संबंध और स्वायत्त चुनाव है।

नरसिम्हा राव का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने धारा 13 के सामान्य शब्दों को वैवाहिक संबंध की विशेष प्रकृति से जोड़ा। इस निर्णय के बाद भारतीय न्यायालय को 6 प्रश्न क्रम से पूछने चाहिए: विवाह किस विधि के अधीन हुआ; विदेशी मंच की संबद्धता क्या थी; तलाक का आधार क्या था; प्रमाण का वास्तविक परीक्षण हुआ या नहीं; पत्नी की भागीदारी अर्थपूर्ण थी या नहीं; और अधिकारिता, सहमति अथवा तामील में कपट था या नहीं।

5.4 एकपक्षीय निर्णय भी कब गुण-दोष पर हो सकता है

इंटरनेशनल वूलन मिल्स बनाम स्टैंडर्ड वूल यूके लिमिटेड वैवाहिक वाद नहीं था, फिर भी धारा 13(ख) के अर्थ को स्पष्ट करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल प्रतिवादी की अनुपस्थिति से निर्णय स्वतः गुण-दोष-विहीन

नहीं हो जाता। यदि न्यायालय ने वादी से प्रमाण लिया, दावे की सत्यता और विधि पर विचार किया तथा कारणयुक्त निष्कर्ष दिया, तो एकपक्षीय निर्णय भी गुण-दोष पर हो सकता है; किंतु केवल चूक के दंडस्वरूप या औपचारिक स्वीकृति पर आदेश ऐसा नहीं होगा।²⁷

5.5 आर्थिक असमर्थता और प्रभावी प्रतिरक्षा

वीना कालिया बनाम डॉ. जतिंदर नाथ कालिया में विदेशी कार्यवाही का सामना करने में पत्नी की आर्थिक असमर्थता और वास्तविक अवसर का अभाव निर्णायक बना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसी डिक्री को भारत में बाध्यकारी नहीं माना जहाँ पत्नी विदेशी मुकदमा प्रभावी रूप से लड़ नहीं सकी।²⁸ यह दृष्टिकोण बताता है कि प्राकृतिक न्याय का प्रश्न 'समन मिला या नहीं' से आगे जाकर 'क्या वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती थी' पर केंद्रित है।

हरमीता सिंह बनाम रजत तनेजा में सीमित विदेशी सहवास, पत्नी का भारतीय जीवन-केंद्र और विदेशी वाद लड़ने के साधनों का अभाव विदेशी वाद-निरोधक राहत के पक्ष में प्रासंगिक रहे।²⁹ न्यायालय ने आशंका देखी कि विदेशी तलाक भारतीय विधि में मान्य न होगा और समानांतर कार्यवाही पत्नी पर दमनकारी बोझ डालेगी। यह निर्णय निवारक संरक्षण का उदाहरण है पत्नी को डिक्री आने के बाद वर्षों तक अमान्यता सिद्ध करने की प्रतीक्षा करने के बजाय पूर्व में राहत मिल सकती है।

विकास अग्रवाल बनाम अनुभा सीमा-पार वैवाहिक मुकदमे में भारतीय कार्यवाही से अनुपस्थित रहने, आदेशों की अवज्ञा और पक्षकारों की प्रक्रियात्मक जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत करता है।³⁰ इसका व्यापक पाठ यह है कि न्याय तक पहुँच द्विपक्षीय अनुशासन चाहती है: विदेश में रहने वाला पति भारतीय न्यायालय की प्रक्रिया को दूरी का बहाना बनाकर निष्फल नहीं कर सकता, और भारतीय न्यायालय को भी उपस्थिति, प्रतिरक्षा तथा अंतरिम सहायता के व्यावहारिक साधन विकसित करने चाहिए।

5.6 अधिवास की निरंतरता

सौंदुर गोपाल बनाम सौंदुर राजिनी ने अधिवास-चयन के लिए निवास और स्थायी रहने की स्पष्ट मंशा के महत्व पर बल दिया। मूल अधिवास केवल विदेशी नागरिकता या दीर्घ निवास से अपने आप समाप्त नहीं होता; उसे छोड़कर नया

²⁴ वही, प्रभावी अवसर, यात्रा, निवास और वाद-व्यय की व्यावहारिक उपलब्धता संबंधी विवेचन।

²⁵ वही, अधिकारिता पर आपत्ति करने मात्र को स्वैच्छिक समर्पण न मानने का सिद्धांत।

²⁶ वही, प्रतिवादी के अधिवास या स्थायी अभ्यस्त निवास, स्वैच्छिक प्रभावी प्रतिरक्षा और राहत के प्रति सहमति संबंधी अपवाद।

²⁷ *इंटरनेशनल वूलन मिल्स बनाम स्टैंडर्ड वूल यूके लिमिटेड*, (2001) 5 एससीसी 265।

²⁸ *वीना कालिया बनाम डॉ. जतिंदर नाथ कालिया*, 59 (1995) डीएलटी 635।

²⁹ *हरमीता सिंह बनाम रजत तनेजा*, 2003 (67) डीआरजे 58।

³⁰ *विकास अग्रवाल बनाम अनुभा*, (2002) 4 एससीसी 468।

अधिवास ग्रहण करने का प्रमाण आवश्यक है।³¹ यह नियम उन मामलों में उपयोगी है जहाँ पति विदेशी पासपोर्ट अथवा रोजगार दिखाकर भारतीय वैवाहिक विधि से पूर्ण विच्छेद का दावा करता है, जबकि परिवार, संपत्ति और वापसी की मंशा भारत से जुड़ी रहती है।

5.7 विदेशी वाद-निरोधक निषेधाज्ञा

मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यू.एस.जी. क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी वाद-निरोधक निषेधाज्ञा के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए। यह आदेश विदेशी न्यायालय पर नहीं, भारतीय न्यायालय के अधीन व्यक्ति पर कार्य करता है; इसे अंतरन्यायिक सौहार्द का सम्मान करते हुए संयम से दिया जाता है। प्रतिवादी भारतीय न्यायालय की व्यक्तिगत अधिकारिता में हो, विदेशी कार्यवाही दमनकारी या उत्पीड़क हो, और निषेधाज्ञा न देना न्याय के उद्देश्यों को पराजित करे ये प्रमुख विचार हैं।³²

दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर ने सावधान किया कि निषेधाज्ञा कोई स्वचालित प्रतिक्रिया नहीं। जब पक्षकारों का विदेशी देश से स्थायी और वास्तविक संबंध हो, वहाँ का न्यायालय भी सक्षम हो और गंभीर अन्याय का ठोस आधार न दिखे, तो भारतीय न्यायालय विदेशी वाद रोकने से इनकार कर सकता है।³³ इसलिए राहत का दावा केवल 'विदेशी वाद चल रहा है' पर नहीं, बल्कि लागू वैवाहिक विधि, पक्षकारों की संबद्धता, पत्नी की क्षमता, समानांतर भारतीय कार्यवाही और संभावित अन्याय के प्रमाण पर बनना चाहिए।

5.8 न्यायिक नीति और विधायी आह्वान

नीरजा सराफ बनाम जयंत वी. सराफ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनिवासी विवाहों से उत्पन्न असमानता और विदेशी तलाक की समस्या पर विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता व्यक्त की। न्यायालय ने भारतीय पत्नी की आर्थिक सुरक्षा, भारत में सम्पन्न विवाह की रक्षा, पारस्परिक व्यवस्थाओं और प्रभावी प्रवर्तन पर विचार का आह्वान किया।³⁴ बाद में विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 219 ने सुझाव दिया कि धारा 13(क) में सक्षम न्यायालय का अर्थ नियंत्रक वैवाहिक विधि से मान्यता-प्राप्त न्यायालय हो, जब तक दोनों पक्ष स्वेच्छा और बिना शर्त उसके अधीन न हों।³⁵

रिपोर्ट संख्या 287 ने एकपक्षीय विदेशी तलाक को आज भी प्रमुख संकट माना और धारा 13 के 6 अपवादों, द्विविध वैवाहिक स्थिति तथा महिलाओं के लिए संसाधन-अभाव को पुनः रेखांकित किया।³⁶ इससे स्पष्ट है कि न्यायिक सिद्धांत पर्याप्त दिशा तो देते हैं, पर पीड़ित पत्नी को उनका लाभ पाने के लिए कई मंचों, कानूनों और प्रशासनिक संस्थाओं के बीच जाना पड़ता है।

6. भारतीय महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव

6.1 प्रक्रियात्मक असमानता

सीमा-पार तलाक में प्रक्रियात्मक असमानता अक्सर विवाद की दिशा पहले ही तय कर देती है। पति विदेशी आय कमाता है, स्थानीय भाषा और प्रणाली से परिचित है तथा उपयुक्त समय और न्यायमंच चुन सकता है। पत्नी भारत में माता-पिता पर निर्भर, नवजात संतान की देखभाल में व्यस्त, या विदेश में पति-आश्रित प्रवासन-स्थिति में हो सकती है। समन की अल्प अवधि, विदेशी वकील का अग्रिम शुल्क, प्रमाण का अनुवाद और समय-अंतर उसकी प्रतिरक्षा को निष्प्रभावी कर देते हैं। ऐसी चूक को सहमति मानना प्राकृतिक न्याय की मूल धारणा के विपरीत है।

6.2 आर्थिक, निवास और सामाजिक अधिकार

विदेशी डिक्री का उपयोग कई बार भरण-पोषण समाप्त करने, साझा निवास से हटाने, संपत्ति छिपाने या दूसरी शादी का आधार बनाने के लिए किया जाता है। यदि भारतीय न्यायालय बिना परीक्षण डिक्री स्वीकार करे, तो पत्नी की वैवाहिक स्थिति के साथ उसकी आर्थिक दावेदारी भी अचानक कमजोर हो सकती है। अंतरिम भरण-पोषण का उद्देश्य इसी असमान मुकदमेबाजी-क्षमता को कुछ हद तक बराबर करना है। हिंदू विवाह अधिनियम की धाराएँ 24 और 25 मुकदमे के दौरान और पश्चात आर्थिक राहत की संरचना देती हैं।³⁷

6.3 दर्जा, पुनर्विवाह और संतान

द्विविध वैवाहिक स्थिति में पत्नी के निर्णय जोखिमपूर्ण हो जाते हैं। यदि वह विदेशी डिक्री को वैध मानकर पुनर्विवाह करे और बाद में भारत में वह अमान्य ठहरे, तो नया संबंध विवादग्रस्त हो सकता है। यदि वह स्वयं को विवाहित माने, तो पति विदेश में पुनर्विवाह कर संपत्ति और पारिवारिक

³¹ *सौंदुर गोपाल बनाम सौंदुर राजिनी*, (2013) 7 एससीसी 426।

³² *मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यू.एस.जी. क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड*, (2003) 4 एससीसी 341।

³³ *दिनेश सिंह ठाकुर बनाम सोनल ठाकुर*, 2018 आईएनएससी 356।

³⁴ *नीरजा सराफ बनाम जयंत वी. सराफ*, (1994) 6 एससीसी 461।

³⁵ भारत का विधि आयोग, *अनिवासी भारतीयों के लिए पारिवारिक विधि-विधान की आवश्यकता*, रिपोर्ट संख्या 219, पृ. 25-27 (2009)।

³⁶ भारत का विधि आयोग, *भारत के अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि*, रिपोर्ट संख्या 287, पृ. 38-40 (2024)।

³⁷ हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, धाराएँ 24 और 25।

जीवन पुनर्गठित कर सकता है। इस अनिश्चितता को कम करने के लिए त्वरित घोषणात्मक कार्यवाही और अंतरिम स्थिति-आदेश आवश्यक हैं।

संतान के प्रश्न में विदेशी तलाक और अभिरक्षा आदेश अलग विश्लेषण माँगते हैं। बालक का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है; विदेशी आदेश सम्मान का कारक हो सकता है, पर स्वतः निर्णायक नहीं। *रुचि मजूमदार बनाम संजीव मजूमदार* ने भारतीय न्यायालय की अधिकारिता और बालक के कल्याण को तथ्यपरक रूप से परखा।³⁸ *नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली* ने भी अंतरन्यायिक सौहार्द को बाल-कल्याण के अधीन रखा।³⁹ इसलिए तलाक की मान्यता से अभिरक्षा का परिणाम यांत्रिक रूप से नहीं निकलता।

6.4 मानव गरिमा और वास्तविक समानता

एकपक्षीय तलाक पत्नी को केवल वैवाहिक अनुबंध से बाहर नहीं करता; वह उसकी गरिमा, सामाजिक पहचान, आर्थिक सुरक्षा और जीवन-योजना को प्रभावित करता है। अनुच्छेद 14 और 21 का संयुक्त पाठ ऐसी प्रक्रिया चाहता है जो मनमानी न हो और प्रभावित व्यक्ति को सुनने योग्य बनाए। अनुच्छेद 39क इस प्रक्रिया को साधनों की समानता से जोड़ता है।⁴⁰ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुच्छेद 16 विवाह-विघटन में समान अधिकार की पुष्टि करता है।⁴¹ इस प्रकार भारतीय मान्यता-परीक्षण को औपचारिक पारस्परिकता से आगे बढ़कर वास्तविक समानता की संवैधानिक दृष्टि अपनानी चाहिए।

7. उपलब्ध विधिक और संस्थागत उपचार

7.1 विदेशी निर्णय की मान्यता का प्रतिरोध

पत्नी भारतीय कार्यवाही में धारा 13 के आधारों पर विदेशी डिक्री की निर्णायकता का प्रतिरोध कर सकती है। उसे विदेशी वाद-अर्जी, समन, तामील-प्रमाण, उपस्थितियों का लेखा, साक्ष्य, कारणयुक्त निर्णय और अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रतियाँ जुटानी चाहिए। अधिकारिता हेतु बताए अधिवास, निवास-अवधि और जीवन-केंद्र के विपरीत प्रमाण रोजगार, कर, घर, परिवार, यात्रा और वापसी महत्वपूर्ण होंगे। धारा 14 का अनुमान खंडनीय है, इसलिए अपूर्ण डिक्री के स्थान पर पूरा अभिलेख माँगा जाना चाहिए।

जहाँ वैवाहिक स्थिति पर तत्काल स्पष्टता आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 34 के अधीन उपयुक्त घोषणात्मक राहत माँगी जा सकती है, बशर्ते अधिकारिता और अन्य विधिक शर्तें पूरी हों।⁴² कुछ मामलों में भारतीय वैवाहिक विधान के अधीन स्वयं विवाह-विच्छेद, वैवाहिक अधिकार या शून्यता संबंधी कार्यवाही अधिक समग्र उपचार दे सकती है। राहत का चयन डिक्री की अवस्था, विवाह-विधान, निवास और लंबित वादों को देखकर किया जाना चाहिए।

7.2 विदेशी वाद-निरोधक निषेधाज्ञा

विदेशी वाद लंबित रहते समय भारतीय न्यायालय से व्यक्ति-विरुद्ध निषेधाज्ञा माँगी जा सकती है। आवेदन में यह दिखाना होगा कि प्रतिवादी भारतीय न्यायालय की व्यक्तिगत अधिकारिता में है; भारत स्वाभाविक या अधिक उपयुक्त मंच है; विदेशी कार्यवाही लागू वैवाहिक विधि को दरकिनार करती है; पत्नी के लिए वह दमनकारी है; और निषेधाज्ञा के बिना गंभीर अन्याय होगा। यह असाधारण और विवेकाधीन राहत है, इसलिए पूर्ण तथ्य-प्रकटीकरण आवश्यक है।⁴³

पत्नी को विदेशी न्यायालय में अधिकारिता पर आपत्ति उठाते समय स्पष्ट लिखना चाहिए कि उपस्थिति आपत्ति-सहित है और उससे बिना शर्त समर्पण अभिप्रेत नहीं। *नरसिम्हा राव* का नियम ऐसी रक्षात्मक उपस्थिति को स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति से अलग करता है।⁴⁴ फिर भी विदेशी देश की प्रक्रियात्मक विधि अलग हो सकती है; अतः समय पर स्थानीय परामर्श आवश्यक है।

7.3 भरण-पोषण, निवास और संरक्षण

कुटुंब न्यायालय को विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और संबंधित पारिवारिक विवादों पर अधिकारिता प्राप्त है तथा समझौते के प्रयास का भी वैधानिक दायित्व है।⁴⁵ हिंदू विवाह अधिनियम, लागू होने पर, अंतरिम और स्थायी भरण-पोषण देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का त्वरित उपाय प्रदान करती है।⁴⁶ अलग-अलग उपचारों में दोहरी वसूली नहीं, पर पर्याप्त और समन्वित राहत सुनिश्चित होनी चाहिए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम साझा गृह में निवास, संरक्षण-आदेश, निवास-आदेश, आर्थिक

³⁸ *रुचि मजूमदार बनाम संजीव मजूमदार* (2011) 6 एससीसी 479।

³⁹ *नित्या आनंद राघवन बनाम राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली*, (2017) 8 एससीसी 454।

⁴⁰ भारत का संविधान, अनुच्छेद 14, 21 और 39क।

⁴¹ महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय, 1979, अनुच्छेद 16।

⁴² विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, धारा 34।

⁴³ *मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क बनाम डब्ल्यू.एस.जी. क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड*, (2003) 4 एससीसी 341।

⁴⁴ *वाई. नरसिम्हा राव बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी*, (1991) 3 एससीसी 451।

⁴⁵ कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984, धाराएँ 7 और 9।

⁴⁶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 144।

राहत, प्रतिकर और अंतरिम आदेश देता है; अन्य विधिक कार्यवाही में भी संबंधित राहत माँगी जा सकती है।⁴⁷ *रजनेश बनाम नेहा* ने आय-संपत्ति के प्रकटीकरण और भरण-पोषण में एकरूप प्रक्रिया की दिशा दी।⁴⁸ *सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा* ने साझा गृह को पति के स्वामित्व तक संकुचित नहीं किया।⁴⁹ *प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी* ने संरक्षण-कानून की उपचारात्मक प्रकृति को पुष्ट किया।⁵⁰

विदेशी तलाक प्रस्तुत होने पर भारतीय मंच को पहले उसकी धारा 13-संगतता जाँचनी चाहिए; केवल डिक्री दिखाकर अंतरिम सहायता रोकना उचित नहीं। यदि डिक्री भारत में निर्णायक नहीं, तो पति उस पर आधारित होकर वैवाहिक दायित्व से स्वतः मुक्त नहीं हो सकता। यदि डिक्री मान्य भी हो, तब भी लागू कानून के अंतर्गत तलाक-पश्चात भरण-पोषण, संपत्ति या संरक्षण के स्वतंत्र दावे शेष रह सकते हैं।

7.4 तामील, दूरस्थ उपस्थिति और दूतावासीय सहायता

विदेश में समन की तामील सामान्य डाक मात्र का प्रश्न नहीं। जहाँ लागू हो, 1965 का हेग तामील अभिसमय केंद्रीय प्राधिकरणों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेज भेजने की व्यवस्था देता है।⁵¹ विदेश मंत्रालय का आधिकारिक मार्गदर्शन पर्याप्त अग्रिम समय रखने की आवश्यकता बताता है; अंतरराष्ट्रीय तामील में प्रायः कई महीने लग सकते हैं।⁵² विलंब को देखते हुए आरम्भ से सही पता, अनुवाद, निर्धारित प्रपत्र और प्रमाणित प्रतियाँ तैयार करना आवश्यक है।

दूरस्थ उपस्थिति को अधिकार-सक्षम साधन बनाया जाना चाहिए। भारतीय न्यायालय समय-अंतर के अनुकूल सुनवाई, सुरक्षित दृश्य-संपर्क, दस्तावेजों की पूर्व इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति और स्थानीय भारतीय मिशन से पहचान-सत्यापन की व्यवस्था कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के शिकायत माध्यम, भारतीय समुदाय कल्याण कोष, दूतावासीय परामर्श और सूचीबद्ध स्थानीय वकीलों की सहायता उपयोगी हो सकती है, यद्यपि वे न्यायिक आदेश का विकल्प नहीं हैं।⁵³

8. विधायी रिक्तियाँ और वर्तमान सुधार-परिदृश्य

8.1 खंडित विधिक व्यवस्था

वर्तमान व्यवस्था में मान्यता धारा 13, वैवाहिक राहत व्यक्तिगत कानून, भरण-पोषण अनेक कानून, संरक्षण अलग अधिनियम, तामील अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया और सहायता प्रशासनिक योजनाओं में बँटी है। पीड़ित महिला को एक ही तथ्य-समूह के लिए अनेक मंचों पर जाना पड़ता है। विदेशी निर्णय की स्थिति पर शीघ्र प्राथमिक निर्णय का स्पष्ट समयबद्ध तंत्र न होने से अंतरिम अवधि में पति संपत्ति स्थानांतरित कर सकता है, पुनर्विवाह कर सकता है या पत्नी पर समझौते का दबाव बढ़ा सकता है।

रिपोर्ट संख्या 65 ने विदेशी विवाह-विच्छेद की मान्यता पर समर्पित कानून की आवश्यकता पहचानी; रिपोर्ट संख्या 219 ने अनिवासी भारतीय परिवार-विधि और सक्षम अधिकारिता की स्पष्टता सुझाई; और रिपोर्ट संख्या 287 ने व्यापक केंद्रीय कानून, अनिवार्य पंजीकरण, समन, भरण-पोषण, अभिरक्षा, दूतावासीय सहयोग और दूरस्थ सहभागिता को एकीकृत करने की अनुशंसा की।⁵⁴ लगभग 5 दशकों में दोहराई गई ये अनुशंसाएँ बताती हैं कि समस्या केवल न्यायिक व्याख्या से पूरी तरह हल नहीं हुई।

8.2 अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019

अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 ने भारतीय नागरिक अथवा अन्य अनिवासी भारतीय से विवाह करने वाले अनिवासी भारतीय के लिए 30 दिनों में पंजीकरण, पंजीकरण न होने पर पासपोर्ट संबंधी कार्रवाई और नामित जालस्थल पर समन अथवा वारंट प्रकाशित करने जैसे प्रावधान प्रस्तावित किए।⁵⁵ पंजीकरण विवाह का विश्वसनीय प्रमाण, पति का पता और दूतावासीय अभिलेख उपलब्ध कराकर पत्नी की स्थिति मजबूत कर सकता है।

फिर भी पंजीकरण अकेला समाधान नहीं। विधेयक में विलंबित पंजीकरण की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव, अनिवासी भारतीय की परिभाषा की अस्पष्टता और आपराधिक प्रक्रिया

⁴⁷ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धाराएँ 17 से 23 और 26।

⁴⁸ *रजनेश बनाम नेहा*, (2021) 2 एससीसी 324।

⁴⁹ *सतीश चंदर आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा*, (2021) 1 एससीसी 414।

⁵⁰ *प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी*, (2022) 8 एससीसी 90।

⁵¹ हेग अंतरराष्ट्रीय निजी विधि सम्मेलन, *विदेश में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की तामील संबंधी अभिसमय*, 1965; भारत के लिए 1 अगस्त 2007 से प्रवर्तन।

⁵² भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, *विदेश में समन की तामील*, विदेशी तामील के लिए केंद्रीय प्राधिकरण और प्रक्रियागत समय संबंधी आधिकारिक मार्गदर्शन।

⁵³ भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, *विदेश में बसे भारतीय पुरुषों से विवाहित भारतीय महिलाओं के वैवाहिक मुद्दे*, भारतीय समुदाय कल्याण कोष और दूतावासीय सहायता संबंधी भाग।

⁵⁴ भारत का विधि आयोग, *विदेशी विवाह-विच्छेदों की मान्यता*, रिपोर्ट संख्या 65 (1976)।

⁵⁵ राज्यसभा, *अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019*, 11 फरवरी 2019 को प्रस्तुत।

में व्यापक जालस्थलीय तामील जैसे प्रश्न उठाए गए।⁵⁶ सबसे महत्वपूर्ण यह कि पंजीकरण-केंद्रित ढाँचा विदेशी तलाक की मान्यता, अंतरिम भरण-पोषण, वैवाहिक संपत्ति, दूरस्थ प्रतिरक्षा-व्यय और पारस्परिक प्रवर्तन का पूरा समाधान नहीं देता। अगस्त 2026 तक विधेयक पूर्व सत्र से राज्यसभा में लंबित विधेयकों में सूचीबद्ध रहा।⁵⁷

8.3 अंतरराष्ट्रीय सहयोग की सीमा

हेग तामील अभिसमय दस्तावेज पहुँचाने की प्रक्रिया सुधारता है, पर वह विदेशी तलाक को स्वतः वैध नहीं बनाता। तामील की विधिवतता मान्यता-परीक्षण का केवल एक भाग है। इसी प्रकार पारस्परिकता का अर्थ यह नहीं कि भारतीय अदालत नियंत्रक वैवाहिक विधि और प्राकृतिक न्याय त्याग दे। भविष्य के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों में न्यूनतम अधिकारिता, उपलब्ध तलाक-आधार, सत्यापित सहमति, विधिक सहायता, अंतरिम आर्थिक आदेश और बच्चों के सर्वोत्तम हित के संरक्षण को स्पष्ट रूप से सम्मिलित करना चाहिए।

9. अधिकार-संरक्षण के लिए प्रस्ताव

9.1 समेकित केंद्रीय विधान

एक समेकित केंद्रीय कानून अनिवासी भारतीय और भारत के विदेशी नागरिक से जुड़े विवाहों की व्यापक, नागरिकता-तटस्थ परिभाषा दे। उसका क्षेत्र विवाह के स्थान के साथ भारतीय नागरिकता, अधिवास, अभ्यस्त निवास, अंतिम साझा निवास और भारत में आश्रित पत्नी या संतान जैसे वास्तविक संबंधों पर आधारित हो। कानून में पंजीकरण, अधिकारिता, विदेशी निर्णय की मान्यता, समन, अंतरिम सहायता, भरण-पोषण, संपत्ति-संरक्षण, अभिरक्षा और दूतावासीय समन्वय एक साथ हों। विधि आयोग की नवीनतम अनुशंसाएँ इस दिशा का आधार प्रदान करती हैं।⁵⁸

9.2 नरसिम्हा राव कसौटी का संहिताकरण

कानून में स्पष्ट किया जाए कि विदेशी तलाक तभी मान्य होगा जब 6 संचयी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर हो: न्यायमंच का वास्तविक और स्वीकृत संबंध; नियंत्रक वैवाहिक विधि में उपलब्ध आधार; प्रमाण पर कारणयुक्त निर्णय; समय पर और समझने योग्य तामील; आर्थिक तथा तकनीकी रूप से प्रभावी प्रतिरक्षा; और कपट, दबाव या भ्रम से मुक्त सहमति। प्रतिवादी की आपत्ति-सहित उपस्थिति को समर्पण न माना

जाए। मान्यता चाहने वाले पक्ष पर पूरा विदेशी अभिलेख प्रस्तुत करने का प्रारम्भिक भार हो।

9.3 अर्थपूर्ण सहभागिता और वाद-व्यय

विदेशी वाद प्रारम्भ करने वाला साधनसम्पन्न पक्ष, उचित मामलों में, भारत में रहने वाले जीवनसाथी के अनुवाद, स्वतंत्र कानूनी सलाह और दूरस्थ उपस्थिति का अग्रिम व्यय वहन करे। न्यायालय यह सुनिश्चित करे कि दृश्य-सुनवाई गोपनीय स्थान से हो, दस्तावेज पहले मिलें और समय-अंतर युक्तिसंगत हो। आर्थिक सहायता न मिलने पर केवल अनुपस्थिति से प्रतिकूल अनुमान न निकाला जाए। यह विशेषाधिकार नहीं, मुकदमेबाजी की वास्तविक समानता का साधन है।

9.4 त्वरित अंतरिम और घोषणात्मक संरक्षण

विशिष्ट कुटुंब न्यायालयों को विदेशी तलाक की अंतरिम मान्यता-स्थिति 90 दिनों में तय करने का लक्ष्य दिया जा सकता है। निर्णय तक वैवाहिक संपत्ति, साझा गृह, संतान और न्यूनतम भरण-पोषण की रक्षा के अस्थायी आदेश उपलब्ध हों। जहाँ पति भारतीय आदेशों से बचने के लिए विदेश में हो, उसकी भारतस्थित संपत्ति के प्रकटीकरण और सशर्त कुर्की का अनुपातिक तंत्र हो। सुलह का प्रयास हिंसा, दबाव या असमानता के मामलों में पत्नी की सुरक्षा और स्वतंत्र सहमति के अधीन रहे।

9.5 पंजीकरण और सत्यापित वैवाहिक अभिलेख

भारत या विदेश में सम्पन्न संबंधित विवाह का समयबद्ध डिजिटल पंजीकरण हो, पर विलंबित पंजीकरण के लिए युक्तिसंगत शुल्क और कारण-दर्शित अवसर दिया जाए। अभिलेख में दोनों पक्षों की स्वतंत्र पहुँच, वर्तमान पते, पासपोर्ट-विवरण की सुरक्षित पहचान, पूर्व वैवाहिक स्थिति और विवाह-विधान दर्ज हों। निजता-सुरक्षा के बिना खुला प्रकाशन न किया जाए। पंजीकरण न होना पत्नी के वैवाहिक अधिकार समाप्त न करे; दंड उस पक्ष पर हो जिसने जानबूझकर सूचना छिपाई।

9.6 एकल सहायता-केंद्र और दूतावासीय समन्वय

राष्ट्रीय स्तर पर एकल सहायता-केंद्र शिकायत को विधिक सेवा प्राधिकरण, कुटुंब न्यायालय, पुलिस, पासपोर्ट प्राधिकरण और संबंधित भारतीय मिशन तक क्रमबद्ध रूप से पहुँचाए। प्रत्येक मामले को पहचान संख्या, समयबद्ध

⁵⁶ पीआरएस विधायी अनुसंधान, *अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 का विधायी संक्षेप*, विलंबित पंजीकरण, परिभाषा और समन संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण।

⁵⁷ पीआरएस विधायी अनुसंधान, *संसद सत्र सार: मानसून सत्र 2026*, पूर्व सत्रों से लंबित राज्यसभा विधेयकों की सूची, पृ. संबंधी प्रविष्टि (2026)।

⁵⁸ भारत का विधि आयोग, *भारत के अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर विधि*, रिपोर्ट संख्या 287, पृ. 55-58 (2024)।

उत्तर और सुरक्षित दस्तावेज-भंडार मिले। विदेश मंत्रालय द्वारा मान्य सहायता-तंत्र को स्थानीय महिला-सहायता संस्थाओं और विधिक सहायता निकायों से जोड़ा जाए। सर्वोच्च न्यायालय का विधायी आह्वान आज भी संस्थागत समन्वय की आवश्यकता को पुष्ट करता है।

10. निष्कर्ष

अनिवासी भारतीय विवाहों में विदेशी एकपक्षीय तलाक आधुनिक निजी अंतरराष्ट्रीय विधि की कठिन परीक्षा है। अंतरराष्ट्रीय आवागमन और विदेशी न्यायालयों के प्रति सम्मान आवश्यक हैं, किंतु वे भारतीय पत्नी की सहमति, सुनवाई और आर्थिक सुरक्षा को विस्थापित नहीं कर सकते। भारतीय विधि का परिपक्व उत्तर नियंत्रित मान्यता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 उसके वैधानिक द्वार की भूमिका निभाती है; *सत्या* अधिकारिता-कपट को रोकता है; *नरसिम्हा राव* नियंत्रक वैवाहिक विधि, गुण-दोष और प्रभावी सहभागिता को केंद्र में रखता है; और बाद के निर्णय आर्थिक वास्तविकता, अधिवास तथा निषेधाज्ञा की सीमाएँ स्पष्ट करते हैं।

फिर भी डिक्री की अमान्यता घोषित करना अंतिम समाधान नहीं। पत्नी को समय पर भरण-पोषण, निवास, संपत्ति-संरक्षण, संतान संबंधी राहत, विधिक सहायता और दूतावासीय सहयोग चाहिए। वर्तमान खंडित व्यवस्था उसे

कई संस्थाओं में भटकाती है और देर को दबाव का साधन बना देती है। विदेश मंत्रालय द्वारा दर्ज समस्याएँ इसी क्रियान्वयन-अंतर की पुष्टि करती हैं।

अतः अगला विधिक चरण एक समेकित, लैंगिक-संवेदनशील और तकनीकी रूप से कार्यक्षम केंद्रीय विधान होना चाहिए। अनिवार्य पर न्यायसंगत पंजीकरण, *नरसिम्हा राव* कसौटी का संहिताकरण, पूर्ण विदेशी अभिलेख, दूरस्थ प्रभावी सहभागिता, अंतरिम वाद-व्यय, त्वरित घोषणात्मक निर्णय और अधिकार-आधारित पारस्परिकता इस विधान के स्तंभ हों। ऐसा ढाँचा विदेशी निर्णयों को अनुचित रूप से नकारेगा नहीं; वह केवल यह सुनिश्चित करेगा कि सीमा बदलने से न्याय का मानक और भारतीय महिला की गरिमा न बदले।

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.